रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 66] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 1987/माघ 15, 1908
No. 66] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 1987/MAGHA 15, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1987

अधिसूचना

सं. 40/87-सीमाशुल्क

सा.का.नि. सं. 81(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंककारी विभाग

की अधिसूचना सं. 129/76-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से छूट देती है" शब्दों के स्थान पर "सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है, जो उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, जो मूल्य के अनुसार 25 प्रतिशत से अधिक है" शब्द और अंक रखे जायेंगे ।

[फा.स. एस /22/87-टी आर यू(सी.शु.)]

टी. जयरामन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 4th February, 1987

NOTIFICATION

NO. 40/87-CUSTOMS

G.S.R. 81(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, No. 129/76-Customs, dated the 2nd August, 1976, namely :—

In the said notification, for the words "from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule" the words "from payment of so much of that portion of the duty of customs, which is specified in the said First Schedule as is in excess of twenty five per cent ad valorem" shall be substituted.

[F. No. S/22/87-TRU(CUS)]

T. JAYARAMAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987